यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार: 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्स: (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 77 / 2017 **दिनांक :** 07.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

सेवानिवृत्तों के लिए ग्रुप मेडीक्लेम पॉलिसी का नवीनीकरण

हमने अपने परिपत्र संख्या 2016–19 / 72 / 2017 दिनांक 30.08.2017 के माध्यम से सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए उक्त योजना के नवीनीकरण के तथ्यों से अवगत कराया था। अभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विषय में जो दरें निर्धारित हुई हैं तथा जो व्यय आदि हैं उसके सन्दर्भ में एआईबीईए ने अपना परिपत्र संख्या 28 / 25 / 2017 / 25 दिनांक 07.09.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

सेवानिवृत्तों के लिए ग्रुप मेडीक्लेम पॉलिसी का नवीनीकरण

हमने पहले ही अपनी इकाईओं को सूचित किया है कि आईबीए ने सदस्य बैंकों को अगले वर्ष अर्थात् 01.10.2016 से 30.09.2017 तक के लिए प्रीमियम दरों में बिना किसी परिवर्तन के ग्रुप मेडीक्लेम पॉलिसी के नवीनीकरण की सलाह दी है। योजना से जुड़े बैंक अब यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सम्बन्धित मेडीक्लेम इंश्योरेन्स पॉलिसी 31.10.2017 को समाप्त हो जायेगी और 01.11.2017 से नवीनीकृत होनी है। हमने आईबीए के साथ इस मामले को उठाया था कि पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए, इस बार, नवीनीकरण समय पर किया जाना चाहिए और प्रीमियम दरें पहले ही बैंकों को सूचित की जानी चाहिए। तद्नुसार आईबीए ने यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी के साथ इस मामले को उठाया और उन्होंने आईबीए को सूचित किया है कि **घरेलू उपचार को शामिल किये बिना पॉलिसियों के लिए सेवानिवृत्तों के लिए प्रीमियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पिछले वर्ष की तरह रहेगा** जो कि निम्न प्रकार है :

घरेलू उपचार लाभ के बिना पॉलिसी	बीमाकृत राशि	2017–18 के लिए प्रीमियम	18% की दर से जीएसटी	सेवानिवृत्त द्वारा देय कुल राशि
सेवानिवृत्त अवार्ड स्टाफ	रू0 3 लाख	रू0 10,452	रू0 1,881	रू0 12,333
सेवानिवृत्त अधिकारी	रू0 4 लाख	रू0 13,935	रू0 2,508	रू0 16,443

जारी पृष्ठ 2

31.07.2017 को चालू वर्ष के दौरान पॉलिसी के तहत उपयोग

	घरेलू उपचार लाभ के साथ	घरेलू उपचार लाभ के बिना
सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी	89,400	1,04,400
शामिल कुल जीवन/व्यक्ति	1,74,600	2,00,300
भुगतान किया गया प्रीमियम	149 करोड़	134 करोड़
जुलाई 2017 के अन्त तक भुगतान किये गये दावे/प्रक्रियाधीन	215 करोड़	125 करोड़

घरेलू उपचार लाभ के साथ शामिल लोगों के लिए, अब तक निपटाये गये दावों की उपरोक्त प्रवृत्ति और प्रत्याशित किये गये दावा अनुपात (आईसीआर) के आधार पर, यह समझा जा रहा है कि प्रीमियम में कुछ संशोधन/वृद्धि होगी जिसे यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सेवानिवृत्तो के लिए अतिरिक्त सुपर टॉप अप पॉलिसी :

- **रू0 4 लाख सेवानिवृत्त अवार्ड स्टाफ के लिए तथा**
- **रू0 5 लाख सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए**

यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी अब योजना से जुड़े सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त टॉप अप सुविधा प्रदान करने के लिए आगे आई है।

	वर्तमान बीमाकृत राशि रू0	अतिरिक्त टॉप अप मेडीकल इंश्योरेन्स कवरेज रू0	देय अतिरिक्त प्रीमियम रू0
सेवानिवृत्त अवार्ड स्टाफ	3,00,000	4,00,000	2,975 + जीएसटी
सेवानिवृत्त अधिकारी	4,00,000	5,00,000	3,225 + जीएसटी

नोट : इस टॉप अप पॉलिसी के अंतर्गत उपरोक्त अतिरिक्त कवरेज घरेलू उपचार कवरेज के बिना होगी।

पॉलिसी को मुख्य पॉलिसी के नवीनीकरण के साथ मिलाने के लिए 1 नवम्बर 2017 से आरंभ होगी।

इस सुपर टॉप अप पॉलिसी के लिए प्रीमियम मुख्य पॉलिसी के लिए प्रीमियम के भुगतान के साथ अदा किया जाना चाहिए।

तीसरा पक्ष प्रशासक वही होगा जो मुख्य पॉलिसी से संबंधित है।

चूंकि अतिरिक्त मेडीक्लेम बीमित राशि देय उचित अतिरिक्त प्रीमियम की तुलना में पर्याप्त है, हमें विश्वास है कि सभी सेवानिवृत्त इसका स्वागत करेंगे और तद्नुसार शामिल होंगे।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री